

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/

2290

दिनांक - 27.12.18

प्रार्थीगण  
1 हुकमाराम 2 दोलाराम पिसरान  
पुरखाराम 3 भूरीदेवी पत्नी पुरखाराम  
जाति नाई निवासी केरली आदर्श चवा  
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 जेठाराम 2 शंकरलाल पिसरान कंसराराम  
जाति नाई 3 थानाराम पुत्र चेतनराम जाति  
जाट निवासी केरली, आदर्श चवा तहसील  
बाड़मेर जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-602/2018 दिनांक- 21.12.2018

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा केरली पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1451/1142 रकबा 24.08 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर


दिनांक- 27.12.18

क्रमांक :- रीडर/2018/

2291-95

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करे।
2. पटवारी आदर्श चवा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हुकमाराम पुत्र पुरखाराम जाति नाई निवासी केरली आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जेठाराम पुत्र कंसराराम वगैराह जाति नाई निवासी केरली आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर